न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 114 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.भवानी सिह पुत्र विडदसिह जाति पुरोहित निवासी लूणावास कला तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.फुलकंवर पत्नी भंवरसिह 02.सोहनसिह पुत्र भंवरसिह 03.राजूसिह पुत्र भंवरसिह 04.विजयसिह पुत्र भंवरसिह 05.गुडडी कवंर पुत्री भंवरसिह 06.मैनाकवंर पुत्री भंवरसिह 07.छैलकवंर पुत्री भंवरसिह 08.धनसिह पुत्र हमीरसिह 09.भोपालसिह पुत्र हमीरसिह 10.सुलतानसिह पुत्र हमीरसिह 11.सुरजकंवर पत्नी बगतावारसिह 12.पदमसिह पुत्र बगतावारसिह 13.पीरसिह पुत्र बगतावरसिह 14.दिलीपसिह पुत्र बगतावरसिह 15.प्रेमकंवर पुत्री बगतारवरसिह 16.गुडडी कवंर पुत्री बगतावरसिह 17.पुष्पाकंवर पुत्री बगतावरसिह 18.कविताकंवर पुत्री बगतावरसिह जातियान राजपूत निवासी गण लूणावा जाटा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –
01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री उर्जाराम पटेल।
02.अप्रार्थीगण सूचना बाजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 23/01/2023

प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसंरा नम्बर 82 रकबा 20 बीधा राजस्व ग्राम लूणावास जाटा मे आई हुई है प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 82 के पूर्व दिशा मे चिपते ही अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 82/1 स्थित है तथा खसरा नम्बर 82/1 के चिपते पूर्व दिशा मे कटाणी रास्ता चलता हैं प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 82 मे कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 82/1 मे से इस खसरे की दक्षिणी मांठ के सहारे सहारे चलकर प्रार्थी हमेशा अपनी भूमि खसरा नम्बर 82 मे कदिम से आता जाता है तथा उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 82 मे आवागमन हेतु नही है। प्रार्थी प्रारम्भ से ही कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 82/1 मे चलकर अपने खेत खसरा नम्बर 82 मे आवागमन करता है तथा इस प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है जिसमे दर्शाये लाल रंग से मार्क भाग से हमेशा प्रार्थी कटाणी रास्ता से होता हुआ अपने खेत खसरा नम्बर 82 मे कदिमे से आता जाता रहा है जिस नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि संलग्न नक्शे मे बताये गये रास्ता 20 चौडाई मे चल रहा है उसकी बाजारू कीमत प्रार्थी से अप्रार्थीगण ले लेवे एव

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

इसे हमेशा के लिए रास्ते के रूप मे दर्ज करवा दे ताकी भविष्य मे प्रार्थी के लिए रास्ते के लिए कोई दिक्कत का सामना न करना पडे। अप्रार्थीगण कुछ समय से टाल मटोल करते रहे एवं दिनांक 01.07.2021 को उन्हाने प्रार्थी को स्पष्ट कह दिया की वे उपरोक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ता बंद कर देगें तथा रास्ते हेतु दर्ज नही करायेगे। इन तमाम परिस्थितियों मे प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण को सूचना के बाजूद कोई उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई । तहसीलदार झंवर द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 07.12.2022 अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 82/1 में से 15 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते का रकबा 01.05 बीधा बनता है जो कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 07.12.2022 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 82/1 राजस्व ग्राम लूणावास जाटा के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एव प्रार्थी उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका फर्द दिनाक 07.12.2022 मे अकित है वह प्रार्थी द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी.डी तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर का तहरीर जारी की जावे। व मौका फर्द दिनांक 07.12.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)